

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 सितम्बर 2023—भाद्र 30, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2023

क्र. एफ-3-3-2019-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा, श्री रघुवीर सिंह कालरा, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक को इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिनांक 7 अगस्त 2025 तक के लिये सदस्य, संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.